वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 202/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-06.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 06.06.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- कोतवालीः चोरी की 15 अदद बैट्री, 2 अदद ई-रिक्सा के 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादिनी सुमन श्रीवास्तव W/O पंकज अस्थाना निवासी गोयल कटरा सिविल लाइन थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 16.04.25 मेरा ड्राइवर मेरे ई-रिक्सा जिसका चेचिस नं0 MC0RULERC25xxxxxx को अमर होटल के पास 12 बजे दिन में खड़ा करके खाना खाने घर चला गया घर से खाना खाकर ड्राइवर आया तो मेरा ई-रिक्शा वह नही था जिसकी सूचना वह मुझे दिया तो मै अपने वाहन इरिक्शा को आज तक शहर आजमगढ मे व अन्य स्थानों पर काफी खोजबिन करती रही परन्तु मेरा ईरिक्शा नही मिला उसे किसी ने चोरी कर लिया है जिसकी सुचना मे आज दिनांक 04.06.25 को थाने पर आकर दी हूँ। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दि. 5.6.25 को मु0अ0सं0 257/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 05.06.25 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त 1. धर्मेन्द्र जैसवार पुत्र रामसमुझ जैसवार निवासी लखूनपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ उम्र 34 वर्ष, 2. राहुल कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी लैलून नगर कुकरा थाना मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी उम्र 20 वर्ष को समय 22.45 बजे बाग लखरावं से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा कब्जे से 15 अदद बैट्री व 2 अदद ई रिक्शा बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 257/2025 धारा 303(2),317(2),238 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धर्मेन्द्र जैसवार पुत्र रामसमुझ जैसवार निवासी लखूनपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ उम्र 34 वर्ष,
2. राहुल कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी लैलून नगर कुकरा थाना मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1- चोरी की 15 अदद बैट्री व 2 अदद ई रिक्शा बरामद

02.थाना बिलरियागंजः अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.05.2025 को वादिनी मुकदमा थाना विलरियागंज जनपद आजमगढ ने थाना पर तहरीर दिया कि दिनांक 26/05/2025 को करीब 11.00 वजे रात मे विपक्षी अरबाज पुत्र गुफरान साकिन अण्डाखोर टिकरिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 168/25 अन्तर्गत धारा 87/137(2)/64/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक- 06.06.2025 को उ0नि0 अवधेश उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरबाज पुत्र गुफरान साकिन अण्डाखोर टिकरिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर अण्डाखोर टिकरिया से समय 08.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 168/25 अन्तर्गत धारा 87/137(2)/64/351(3) बीएनएस थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- अरबाज पुत्र गुफरान साकिन अण्डाखोर टिकरिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

03.थाना निजामाबाद: 07 वारण्टी गिरफ्तार।

आज दिनांक 06.06.25 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के निर्देश पर वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना निजामाबाद द्वारा गठित टीम द्वारा विभिन्न मुकदमों में मा0 न्यायालय द्वारा जारी किये गये वारण्ट के अनुपालन में 07 नफर वारण्टी गिरफ्तार किये गये। बाद गिरफ्तारी वारण्टीगण को मा0 न्यायालय रवाना किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है-

1. गुड्डू पुत्र लग्गन निवासी श्रीकान्तपुर थाना निजामाबाद, आजमगढ उम्र 45 वर्ष
2. मेनू उर्फ मन्नू पुत्र रामधन निवासी श्रीकान्तपुर थाना निजामाबाद, आजमगढ उम्र 53 वर्ष
3. जुवेर अहमद पुत्र मो0 अनस निवासी तोवा थाना निजामाबाद, आजमगढ उम्र 60 वर्ष
4. रवीन्द्र पाण्डेय पुत्र सुख सागर निवासी विदावनपुर थाना निजामाबाद, आजमगढ उम्र 35 वर्ष
5. विपिन पाण्डेय पुत्र सुख सागर पाण्डेय निवासी विदानपुर थाना निजामाबाद , आजमगढ उम्र 38 वर्ष
6. प्रदीप कुमार पुत्र काली चरन निवासी मुकुन्दपुर थाना निजामाबाद , आजमगढ उम्र 45 वर्ष
7. विश्राम यादव पुत्र मुन्नर यादव नि0 मुस्लिमपट्टी थाना निजामाबाद , आजमगढ उम्र 58 वर्ष

04. थाना –मेंहनाजपुर क्षेत्रान्तर्गत युवक की हुई हत्या की घटना में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद ।

पूर्व की घटना:-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.06.2025 को आवेदक अरुण राजभर पुत्र कल्पनाथ राजभर सा0 अहिरौली खिजिरपुर थाना देवगांव आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि मेरा भतीजा अमित राजभर उर्फ गोलू पुत्र अरविन्द राजभर जो ग्राम बरवां थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ की रहने वाली लड़की का मित्र था। हम लोग कई बार मना कियें किन्तू नही माना तथा दि0 04-06-2025 की रात्रि को भी उसके घर मिलने चला गया था। वहा पर 1-अवनीश पुत्र विजय राजभर 2-मनीष पुत्र विजय 3-सुदामी पत्नी स्व0 विजय सा0 बरवां थाना मेंहनाजपुर जिला आजमगढ ये सभी लोग मारकर उसकी हत्या कर दिये हैं जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ वादी मुकदमा श्री अरुण राजभर पुत्र कल्पनाथ राजभर सा0 अहिरौली खिजिरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ बनाम 1-अवनीश राजभर पुत्र स्व0 विजय राजभर, 2-मनीष राजभर पुत्र स्व0 विजय राजभर, 3-सुदामी देवी पत्नी स्व0 विजय राजभर निवासीगण ग्राम बरवां थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना थानाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण :-

दिनांक 05.06.2025 को थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1-अवनीश पुत्र विजय राजभर 2- मनीष पुत्र विजय निवासीगण ग्राम बरवां थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ कही जाने के फिराक से बरवा मोड पर पुलिस हिरासत मे लिया गया।

पुनः आज दिनांक 06.06.25 को उ0नि0 विक्रान्त मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता सुदामा देवी पत्नी स्व0 विजय राजभर ग्राम बरवा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 44 वर्ष है को समय करीब 07.45 बजे महिला आरक्षी चन्दा पाल के माध्यम से हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1-मु0अ0सं0 62/2025 अन्तर्गत धारा 103(1) बीएनएस थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1-अवनीश राजभर पुत्र स्व0 विजय राजभर,
2-मनीष राजभर पुत्र स्व0 विजय राजभर,
3-सुदामी देवी पत्नी स्व0 विजय राजभर निवासीगण ग्राम बरवां थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी: एक अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. थानाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना मेहनाजपुर मय हमराह ,आजमगढ़
2. उ0नि0 विक्रान्त मिश्रा थाना मेहनाजपुर , मय हमराह आजमगढ़

05.थाना- मुबारकपुरः ग्राम बम्हौर में लावा परछन के समय वीडियो बनाने से मना करने पर मारपीट करने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक कुल 05 अभियुक्त पकड़े गये।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 03.06.2025 को ग्राम बम्हौर मे संदीप कन्नौजिया पुत्र महेन्द्र कन्नौजिया ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश पुत्र बरछू कन्नौजिया के विवाह समारोह मे लावा परछन के लिये गाँव व परिवार की महिलाएं गाँव के पोखरे पर जा रही थी कि तभी दुसरे समुदाय के लड़के अबुजैद S/0 भुल्लन, रहमान,वकाश, वसीम,आलिम पुत्रगण शमीम, जुबैद S/0 इफ्तेखार, वकार S/0 महमूद,एहतेशाम S/0 शब्बीर, अरबाज S/0 कमालू, अरमान S/0 कमालू, अरमान S/0 जावेद, S/0 भुल्लन S/0 आले हसन, सैफु S/0 अज्ञात नदीम S/0 शमीम अरमान S/0 अज्ञात, और उनके साथ के अन्य लडके परछन में शामिल महिलाओं और लडकियों का वीडियो बनाने लगे और लडकियों के साथ छेडखानी करते हुए कमेन्ट करने लगे मना करने पर मारना पीटने एवं जान मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे सूचना प्राप्त हुई। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 228/2025 धारा 3(5),115(2),352,351(3), 109,110,125,61(2)74,61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 06.06.2025 को निहार नन्दन कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ मय हमराह पुलिस बल के बम्हौर मे घटित घटना से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अबू जैद पुत्र मुस्तकीम उर्फ भुल्लन उम्र करीब 24 वर्ष निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को ग्राम बम्हौर से समय करीब 06.15 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। शेष अन्य अभियुक्तगणों की तलाश जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-अरमान पुत्र जावेद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बम्हौर, थाना– मुबारकपुर, जनपद – आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 228/2025 धारा 3(5),115(2),352,351(3),109,110,125,61(2)74,61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

#Azamgarh: 26वीं प्री यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता 2025 के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्टेट स्तर पर महिला वर्ग में 1^{st} रैंक (गोल्ड मेडल) व #2nd_रैंक (सिल्वर मेडल) प्राप्त करने वाली महिला आरक्षी तथा पुरूष वर्ग में #2nd_रैंक (सिल्वर मेडल) प्राप्त करने वाले एसपी सिटी स्टेनों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 05-05 हजार रूपयें के नकद पुरस्कार से किया सम्मानित।

यू0पी0 स्टेट राइफल एसोसिएशन लखनऊ द्वारा आयोजित 26वीं प्री यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता 2025 जनपद नोएडा में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया, जिसमें **महिला वर्ग में** महिला आरक्षी शिरीना बानों (गोल्ड) व महिला आरक्षी चमन खातून (सिल्वर) द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में उ0प्र0 (पुलिस सेवाएं) में स्टेट स्तर पर क्रमशः 1st रैंक (गोल्ड मेडल) व 2^{nd} रैंक (सिल्वर मेडल) प्राप्त किया गया तथा **पुरूष वर्ग में** संजीव पाण्डेय, स्टेनो (एसपी सिटी आजमगढ़) द्वारा उ0प्र0 (पुलिस सेवाएं) में 2nd रैंक (सिल्वर मेडल) प्राप्त किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 06.06.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा उक्त स्टेनों व दोनो महिला आरक्षी को 05-05 हजार रूपयें का नकद पुरस्कार से सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 06.06.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना ने शुक्रवार की परेड का किया निरीक्षण; परेड की ली सलामी, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक- 06.06.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पुलिस लाईन्स आजमगढ़ में शुक्रवार की परेड का निरीक्षण किया गया, परेड में पुलिस लाईन्स तथा पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में नियुक्त आरक्षी, मुख्यआरक्षी, उ0नि0, निरीक्षकों द्वारा भाग लिया गया। परेड में भाग ले रहें डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरा दल का भी निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नगर विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर किरन पाल सिंह व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन्स उपस्थित रहें।
पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड निरीक्षण के पश्चात आरक्षियों का मेस, बैरक, आवासीय परिसर, जीडी कार्यालय, गणना कार्यालय, आरटीसी कार्यालय, सब्सिडी कैंटीन, जनपद नियंत्रण कक्ष, मोटर वाहन शाखा, स्टोर, क्वार्टर गार्द, शस्त्रागार, गैस एजेन्सी, नफीस कार्यालय अन्य शाखाओं का निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया।
यूपी 112 के दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया तथा कमियों को दूर करने हेतु प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया, तैनात कर्मियों की कार्य कुशलता व दक्षता की भी जांच की गई। ड्यूटी के दौरान समस्त कर्मचारी बावर्दी दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही वाहन में सदैव दंगा नियंत्रण उपकरण रखने, यूपी 112 की गाड़ियों/टैबलेट व अन्य उपकरणों की साफ-सफाई व रख-रखाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।